उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

संख्याःपीआरपीबीः–दो–1(2) 2011 दिनांकःदिसम्बर 22, 2011

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा–2011के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गयी सूचना/विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी–दो–1(2) 2011 दिनांक जुलाई 15 ,2011 के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत शारीरिक मानक परीक्षा प्रदेश के 75 शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्रों पर एक साथ दिनांक 03–01–2012 से तथा अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रदेश के 25 शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्रों पर दिनांकः 6–01–2012 से प्रारम्भ हो रही है, जो कि प्रक्रिया के समाप्त होने तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के प्रारम्भ में दिनांकः 03–01–2012 से महिला अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण किया जायेगा। तदनन्तर दिनांकः 30–01–2012 से पुरूष अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण आरम्भ किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अर्ह अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं तथा उन्हें बोर्ड की वेबसाइट http://www.uppolrecpro.gov.in माध्यम से दिनांकः 23–12–2011 को अपरान्ह 1.00 बजे से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

2– शारीरिक मानक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश निर्धारित प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी बोर्ड की उक्त वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना ऐसे पहचान पत्र के डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। प्रवेश–पत्र में अंकित किसी भी परीक्षा केन्द्र व तिथि के बदलाव के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रवेश–पत्र पर अंकित परीक्षा केन्द्र पर तिथि व समय पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षण के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और तदनुसार अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं होंगे ।

3– शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंने के लिये पात्र होंगे । शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि, समय व केन्द्र के नाम का अंकन शारीरिक मानक परीक्षण दल के सदस्य द्वारा किया जायेगा तथा उसके लिए अलग से सूचना/बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंने के लिये पात्र होंगे ।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इस प्रवेश–पत्र को अपने पास सुरक्षित रखें तथा इसे लिखित परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4– अभ्यर्थी को बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति दिनांकित 15–07–2011, अनुदेश–पुस्तिका तथा शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु जारी किये गये प्रवेश–पत्र में अंकित निर्देशों के अनुरूप अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी के सम्बन्ध में शारीरिक मानक परीक्षण दल को सन्निरीक्षा हेतु निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक–एक छायाप्रति शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इनको प्रस्तुत न कर सकने पर अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा और इन अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण हेतु कोई अन्य तिथि देय नहीं होगीः–

(1) इण्टरमीडिएट योग्यता प्रमाण–पत्र यथास्थिति अंकपत्र/प्रमाण–पत्र। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी मैट्रिकुलेट होने के साथ–साथ यदि 15 वर्ष से अधिक की सेवा सैनिक के रूप में की है एवं वह इण्डियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन या नौसेना/वायु सेना से प्राप्त ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मूलरूप में प्रस्तुत करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक मानी जायेगी तथा वह भर्ती के लिए पात्र होगा। 15 वर्ष से कम सेवा के भूतपूर्व सैनिकों को इण्टरमीडिएट योग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) भूतपूर्व सैनिक संबंधी दावे की पुष्टि में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण–पत्र तथा संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत सैनिक अभ्यर्थी जिनकी विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूरी होने में एक साल शेष हैं, द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए यूनिट के कमाण्डेण्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(3) निवास प्रमाण–पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट)–लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। जाति प्रमाण–पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा। निवास प्रमाण–पत्र, आरक्षण के लाभार्थी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(4) आरक्षण–दावे सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जो कि विज्ञप्ति व अनुदेश पुस्तिका में निर्धारित प्रारूप के अनुसार हों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र दिनांक 31–03–2011 के पश्चात निर्गत हुआ हो । आरक्षण दावे सम्बन्धी प्रमाण पत्र विज्ञप्ति व अनुदेश पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।

(5) हाईस्कूल अंकतालिका अथवा प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो ।

(6) अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि हो तो दावे के समर्थन हेतु)।

(7) होमगार्ड्स सम्बन्धी दावे की पुष्टि में जिला कमाण्डेन्ट द्वारा जारी 03 वर्ष या उससे अधिक की सेवा का प्रमाण–पत्र।

5– क्रीमीलेयर (ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता–पिता की निरन्तर 03 वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 05 लाख रूपये से अधिक है) को अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह

दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा ।

6— ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के आधार पर तैयार किये गये डेटा में अंकित प्रविष्टियों का मिलान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण—पत्रों से किया जायेगा। प्रमाण—पत्रों की सन्निरीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा ।

7— शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरूष अभ्यर्थी को एक घण्टे में 10 कि0मी0 तथा महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 05 कि0मी0 दौड़ने का मानक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस दौड़ में अपनी पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ही भाग लें। यदि किसी अभ्यर्थी की दौड़ते समय आकस्मिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी।

8— परीक्षा में प्रवेश पूर्णतः औपबंधिक (provisional) है। यदि कभी बाद में पाया गया कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं सुनी जायेगी।

9— विज्ञप्ति व अनुदेश पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के व्यतिक्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की प्रविष्टियां अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा विरोधाभाषी पाये जाने के कारण उनके आवेदन/अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त किये जा रहें हैं, जिसकी सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। निरस्त किये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की स्कैन कॉपी अभ्यर्थी के अवलोकनार्थ बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी ।

10— इसके अतिरिक्त बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी—दो—1(2) 2011 दिनांक जुलाई 15 ,2011, आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुदेश पुस्तिका तथा प्रवेश पत्र पर अंकित समस्त निर्देश व शर्ते अभ्यर्थी पर बाद्धयकारी होगी। उनमें से किसी प्राविधान का उल्लघन अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अपात्र सिद्ध कर देगा।

(अयोध्या प्रसाद वर्मा)
उप सचिव(भर्ती)/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।